

प्ररूप अ.डि.-7

शपथपत्र (नियम 49 के अधीन अनुरोध के समर्थन में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षा किए जाने पर ही प्रस्तुत किया जाएगा)

(नियम 49)

मैं, जो का हूँ सत्यनिष्ठा से और शुद्ध हृदय से घोषणा करता हूँ कि मामले में परिवर्णित तथा की बाबत² अभिन्यास डिजाइन सं..... के संबंध में मेरे समक्ष निक्षिप्त विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और अभिन्यास डिजाइन की वर्तमान स्वत्वधारिता को प्रभावित करने वाले प्रत्येक तात्विक तथ्य तथा दस्तावेज को समाविष्ट करती है।

3

तारीख आज मास 20..... मेरे समक्ष⁴..... में

1. अभिसाक्षी का नाम, पता तथा राष्ट्रीयता लिखें।
2. संबंधित कार्यवाहियों की विशिष्टियाँ लिखें।
3. घोषणा करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।
4. उस प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम जिसके समक्ष शपथ ली जाती है। भारत में किसी न्यायालय या ऐसे व्यक्ति के समक्ष जिसे विधि द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने का प्राधिकार है या न्यायालय द्वारा शपथ दिलाने के लिए सशक्त किसी अधिकारी के समक्ष शपथ ली जा सकती है। भारत से बाहर राजनैयिक और कौंसलीय ऑफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम 1948 (1948 का 41) के अर्थान्तर्गत ऐसे देश या स्थान के किसी राजनैयिक या कौंसलीय ऑफिसर के समक्ष या स्थान के नोटरी के समक्ष शपथ ली जा सकती है। यदि स्थान के नोटरियों द्वारा नोटरी के कार्य नोटेरी अधिनियम 1952 की धारा 14(1952 का 53) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।